

三

एस०ए न० ४५

ਪ੍ਰਾਚੀ ਸਚਿਵ

उत्तार प्रदेश भासन

०६४३

॥ १ ॥ अर्द्धपाठ,

इताहाबाद, फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, विन्ध्याचल, वत्ती, टेकीपटन, झांसी एवं चित्रकूट धाम मण्डल।

121 जिला पिछऱी

इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, फैसलाबाद, बाराबंकी, सुलतानपुर,
अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, महंराजगंज, देवरिया, वाराणसी, चन्दौली,
जैनपुर, याज्ञीपुर, अस्समगढ़, मठ, बलिया, मीरजापुर, सतरंविदात्त नगर; (झानोटी)
सोनभद्र, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, सत कबीर नगर, गोडांडा, बहराइच, बलरामपुर;
ग्रामतीरि, झाँसी, झालौन, ललितपुर, बड़दा, चित्रकूट, महाबात-तथा हमीरपुर।

पाठ्यन् अनुभाग-५

ਲੁਧਨਕਾ **ਦਿਨਾਂਕ** 19 ਜੁਲਾਈ 2002

वेदप्रस्ताव

विषयः संतुलित क्षेत्रीय विकास [पूर्वन्धर्म/बुन्देलखण्ड] | निधि से संबंधित मार्गदर्शी
स्त्रियों तक प्रतिपादन।

महेश्वर,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वाञ्चल/बुज़न्देरखण्ड क्षेत्र में स्थित जनपदों में अन्तर्देशीय विषमताओं से एवं पिछड़ेपछकों को कम करने तथा जर्हुलित विलास के उद्देश्य से नियोजित विभाग के अंतर्गत पूर्वाञ्चल/बुज़न्देरखण्ड विकास निधि सूचित की गयी थी। जिससे प्रतिवर्ष राज्यांश एवं जिलहारी विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जाता है। उपर्युक्त निधि के अंतर्गत परियोजनाओं के घटन, कार्यदारी, संस्थाएँ निपरिण, स्वीकृति की प्रक्रिया आदि के संबंध में एक नियमावली वर्ष 1990 में बनायी गयी थी। जिसके क्रम में सम्पर्क-सम्पर्क पर अनेक संशोधन जारी किये गये हैं।

अतरव उक्त निर्धि ते संबंधित पूर्वपतीं नियमाधलीं एवं संशोधन आदेशों के
लगाकित करते हुए तथा क्रातिपय अन्य प्राविधिक समिलित करते हुए संतुलित क्षेत्रीय
सिक्षण पूर्वान्यल/छन्दोलण्डः निर्धि मार्गदर्शीं तिदान्त का प्रतिपादन स्तददंतरार-
तियां जाता है।

उपर्युक्त भाषी दृशी लिखाना इस अपेक्षाएँ के साथ संलग्न है जिसका निर्माण

के अंतर्गत वित्त प्रधान/प्रस्तावित परियोजनाओं के संबंध में कृपयः मार्गदर्शी
सिद्धान्त के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

संलग्नः यथोपुरि

भवदीय,

एस०एन० इा।

प्रमुख सचिव

प्र०स०-३३७-।।।/३५-५-२००२, तद॑ दिनांक

प्रतिलिपि, हालमन् मार्गदर्शी सिद्धान्त सहित सिम्मलिखित को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1- उत्तर प्रदेश शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
- 2- हृषि उत्पादन आयुक्त।
- 3- अध्यक्ष राज्यत्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 4- राज्यानिक असुका, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली हाउस, बारह खम्मा रोड
नई दिल्ली।
- 5- प्रमुख महानेतारां, उत्तर प्रदेश।
- 6- उच्च विद्यालयिकारी, समस्त पूदन्त्रिल/बुन्देलखण्ड जनपद।
- 7- नियोजन विभागीय अधिकारी जी, उत्तर प्रदेश।
- 8- नियोजन विभागीय अधिकारी जी, उत्तर प्रदेश।
- 9- नियोजन विभागीय अधिकारी जी, उत्तर प्रदेश।
- 10- नियोजन विभागीय अधिकारी जी, उत्तर प्रदेश।
- 11- नियोजन विभागीय अधिकारी जी, उत्तर प्रदेश।
- 12- नियोजन विभागीय अधिकारी जी, उत्तर प्रदेश।
- 13- वित्त व्यवस्था अनुभाग-५।
- 14- उपरान्दीकार, अर्थ एवं तंत्रधारा, संबंधित गण्डल।
- 15- जिति अर्थ एवं संबंधित गण्डल।
- 16- संबंधित अदेश प्रावली।
- 17- गढ़ कालगं, नियोजन अनुभाग-५।
- संलग्नः यथोपरि।

आमा

अलन नं. ८४
विशेष सचिव

लंतु लित देशीय विकास। पूर्वान्ध्र/बुन्देलखण्ड। निपिके संचारन के संबंध में यार्गदर्शी
लिट्राना

1. नाम-इत निपिका नाम संतुलित देशीय विकास पूर्वान्ध्र/बुन्देलखण्ड निपिके होगा। जिते स्तदपारा "निपिका" कहा जायेगा।
2. उद्देश्य- प्रदेश के पूर्वान्ध्र/बुन्देलखण्ड क्षेत्र में, स्थित जनपदों में अन्तर्देशीय विधमता आँ एवं पिछेपन को कम करने के उद्देश्य से क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं का वित्त पोषण इस निपिके से क्रिया जायेगा। जिते सम्बन्धित जनपदों में अर्थिक विकास में गति आ जाए।
3. क्षेत्र-निपिके के अंतर्गत समय समय पर उपलब्ध धनराशि का उपयोग उत्तर प्रदेश के पूर्वान्ध्र/बुन्देलखण्ड में निम्नलिखित जनपदों में क्रिया जायेगा:-

पूर्वान्ध्र क्षेत्र

मण्डल

जनपद

इलाहाबाद	1. इलाहाबाद 2. फतेहपुर 3. प्रतापगढ़ 4. कौशाम्बी
फैजाबाद	1. फैजाबाद 2. अम्बेडकर नार 3. मुलाहनपुर 4. बाराबंकी
गोरखपुर	1. गोरखपुर 2. देवरिया 3. महराजगंज 4. कुशीनगर
वाराणसी	1. वाराणसी 2. गाजीपुर 3. चन्दौली 4. जैनपुर
आजमगढ़	1. आजमगढ़ 2. बलिया 3. मऊ
विन्ध्याचल	1. मीरजापुर 2. सोनभट्टा 3. सताराविदास नार
बाती	1. बाती 2. तिर्थार्थ नार 3. सताराकबीर नार
देवीपट्टन	1. बलरामपुर 2. प्रावित्ती 3. गुरुडा 4. बहराइच
छाँती	1. छाँती 2. जालौन-3. लालितपुर
चिहूट धाम	1. बांदा 2. हमीरपुर 3. चिहूट 4. महोबा

4- आय प्रोति-निपिके में धनराशि राज्य सरकार द्वारा हो जायेगी। केन्द्र सरकार तथा जनपदों ते परिवहन में लिये जाये गए प्राविधिकों ते प्राप्त होंगी। जिन्हें ते यदि इस प्रयोजन के द्वारा वित्तीय तहायता प्राप्त होती है तो वह भी निपिके रखी जायेगी।

5- योजनाओं का स्वरूप-

5.1 निपिके में न्यायी परिजन्मन्त्रियों के सूचना संबंधी ऐसी योजनायें क्रियान्वित की जायेगी जो क्षेत्र के अर्थिक पिछेपन को कम करने द्वारा तथा जिन्हें राज्य योजना/जिला योजनाएं में सम्मिलित किया जाना। तस्वीर नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार निपिके ते वित्त प्राप्ति योजनायें राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र के विकास द्वारा की जायेगी।

क०.२ निधि के अंतर्गत प्राप्तियाँ निम्न धनराशि एवं जिलों का नाम हो। भारत में समर्व रूप है विभाजित किया जायेगा। राज्यांश से ऐसी परिधियोजनाएँ ही स्वीकृत की जायेगी जिनकी परिधि जनपद लगते हैं ८०।० लाख से अधिक हो। राज्यांश के अंतर्गत दो पां उसके अधिक जनपदों को सम्मिलित होपर ते लाभदायित लगने वाली प्रोजेक्शनों को प्राप्तियोजनाएँ दी जायेगी। ८०।। लाख से ८०।० लाख की लागत की परिधियोजनाएँ जिलों के स्वीकृत की जायेगी। इण्डिया महाराष्ट्र के हैंडपर्सोन का अधिकारपन कार्य ८०।० लाख की उक्त न्यूनतम रीमांड ते सुकृत होगा।

5.३ निधि के अंतर्गत जिन कार्यों को नहीं कराया जा सकता है उनकी सूची परिषिष्ठ में दी गयी है। उत्पादन में वृद्धि एवं खेत्रीय नियोजन प्रभाव, ८०।० नियोजन तंत्रज्ञान द्वारा लम्बे लम्बे पर अभिज्ञापित जनपद की सम्पर्कों हैं निरीकरण हेतु प्रत्यावित छायों को वरीयता दी जायेगी। मार्ग निर्माण तंत्रधी कार्य निधियों हैं राज्यांश से वित्त पोषित किये जाने की अंतिम प्राप्तियोजित होगी।

5.४ झोटे :-

१. निधि के अंतर्गत ऐसी परियोजनाएँ ही नी जायेगी जो एक बार में कार्यान्वय करके पूर्ण की जाते हैं। ऐसी परियोजनाएँ स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत होने के दिनांक ते गणितम तो वर्षों हैं भीतर पूर्ण कर ली जायेगी।
२. परियोजनाओं के अंतर्गत स्टार्ट के लिए पदों का सूचन अनुमत्य नहीं होगा और वाडन का क्रय भी नहीं किया जायेगा। जितसे कालान्तर में शासन पर आयोजनेतार अदर्तीक व्यय भार बढ़े। यदि इसी परियोजनाएँ में अनुरक्षण भार रखित हो तो योजना पूर्ण होने पर उसके अंतर्गत सुजित परिसम्पर्तियों हैं अनुरक्षण का व्यय भार बहन करने का दायित्व तंदंर्धित प्रशासकीय विभाग का होगा। इतन प्रयोजन हेतु योजना भी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति देते समय राज्यांश के अंतर्गत नियोजन विभाग तथा जिलों के अंतर्गत जिलों विकारी द्वारा संबंधित प्रशासकीय विभाग की सहायता प्राप्त कर ली जायेगी।
३. जिलों का हेतु जनपद के अंतर्गत धनराशि का उपयोग जिला योजनाएँ के अनुरूप दित छायों अधिक जिलों तेकर के अन्य दराएँ के लिए ही किया जायेगा।
४. जिलों तथा राज्यांश के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि तंत्रधीपथम विगत वर्षों द्वी अपूरी योजनाओं यदि कोई हो। को पूर्ण कराने के अंतर्गत छायों जायेगी और तत्परतात ग्रंथ धनराशि भी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत की जायेगी।
५. कार्यान्वयी तंत्रायें:-

६। निधि के अंतर्गत लड़ों तथा पुलियाँ दा, निर्माण कार्य लौक निर्माण विभाग अथवा ग्रामीण अभियंत्रण तेका एवं नेतृओं का, निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश लेतु निर्गम अथवा लोक निर्माण विभागते ही कराये जा सकें।

६। [सिंचार्ह, लघु तियार्ह, विद्युतीकरण, गैरपरम्परिल ऊर्जा एवं पेयजल आपूर्ति के कार्यी संबंधित प्रशासनक विभाग पा उसके अधीन नियांशों संत्याओं ते कराये जायेगा।]

३ पूर्वोन्नचत् विकास निधि एवं बुन्देलखण्ड विकास निधि के अंतर्गत लड़क निर्माण का एक हेतु लड़क निर्माण विभाग तथा ग्रामीण अभियंत्र सेवा के अतिरिक्त जिला पंचायतों विकास समिति, नगर किसिमें, नगर पंचायतों एवं विकास प्राप्तिकरणों को भी उनके स्वामित्व की लड़कों पर कार्यदायी संस्था माना जायेगा।

४ उपरोक्त ६.१ एवं ६.२ से भिन्न परियजनाओं के कार्य निम्न कार्यदायी संस्थाओं से करवाये जा सकते हैं। इन योजनाओं हेतु कार्यदायी संस्था का घपन प्रत्तर ६.५ पर उल्लिखित व्यवस्था नुसार किया जायेगा।

१. लोक निर्माण विभाग
२. राजकीय निर्माण नियम।
३. ग्रामीण अभियंत्र सेवा विभाग
४. जल नियम।
५. समाज छल्पाण निर्माण नियम
६. यू०पी० प्रोजेक्टस एण्ड ट्रूबलेल नियम
७. प्रथम ब्रेणी ही नगर पालिकायें/नगर नियम/विकास से प्राप्तिकरण, जिनके अपने स्वयं के सहायक अभियंता अधवा उससे उच्च स्तर के अभियंता नियुक्त हों रखें अपनी तीमों के अंतर्गत निर्माण हेतु स्वयं के संसाधन/संयंत्र/उपकरण आदि उनके पास हों।

८. ऐसी जिला पंचायतें जिनके अपने स्वयं के सहायक अभियंता अधवा उससे उच्च स्तर के अभियंता नियुक्त हों तथा उनके स्वयं के संसाधन/संयंत्र/उपकरण आदि हों।

९. फैक्टरी पैड, कैवल भवन निर्माण हेतु
१०. यू०पी० एग्रो।

१. गन्ध विकास विभाग
२. अस्त्र द्रव्यरा नियम/जुलार बोरित अन्य निर्माण एजेंट्सी
६.५ निधि के अंतर्गत कार्यदायी संस्थाएं का चयन जिला/तारीख नियमित द्वारा जनपद में कार्यरत तभी कार्यदायी संस्थाओं से प्रद्वाना तथा आगणन में भूमिका भी आवश्यकता एवं निधि द्वारा विशिष्ट विधिविधयों के अद्वाना ताम्हा लागत एवं अन्य दुसरी विनुजां यथा उनकी कार्यक्रमता, अनुभव, गुणवत्ता, सामान्य छाया ति एवं निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध तंत्रज्ञान/संयंत्र/उपकरणों की उपलब्धता लाभित रखते हुए किया जायेगा।
नियमित द्वारा गठन निम्न प्रकार से होगा—

- | | |
|---|------------|
| १. जिला विधिकारी | अध्यक्ष |
| २. मुख्य विकास अधिकारी | सदस्य सचिव |
| ३. लोक निर्माण विभाग के जनपद में अदात्मत अधीक्षण/अधिकारी | सदस्य |
| ४. लोक संबंधित उपयोगकर्ता/अनुरक्षणकर्ता/दिवारी/संस्थाएं का जिला/तारीख सभोच्च अधिकारी | सदस्य |
| ६.६ उपर्युक्त व्यवस्था निधि हेतु अंतर्गत जिलांभा एवं राज्यांश की मण्डल युक्त द्रव्यरा अद्वानोटित तथा तंत्रज्ञान समस्त परियोजनाओं के लिये लागू रहेंगी। | |
| ६.७ राज्यांश/जिलांश हेतु कार्यदायी संस्था एवं कार्यालय कुमश: मण्डल/जनपद त्तर पर होना अनिवार्य होगा। | ॥१३॥ |

6.8 निधि से वित्त पोषित परियोजनाओं ते संबंधित डिपा.जिट का यो पर रक्षण
अन्माणि, जिसमें एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा 12.5 प्रतिशत सेटिंग चालैन
नहीं लिये जाएंगे, फिर ऐसे डिपा.जिट कार्यों पर सार्वजनिक उपक्रमों/नियमों एवं अ.ग.
नियमण इकाइयों/स्वास्थ्यालयों को नियमण लागत में से 5 प्रतिशत से कम कर उत्त
पर 12.5 प्रतिशत की दर तक सेटिंग चालैन अनुमत्य लिये जा सकेंगे। इन नियमों ते
6.9 प्रतिशत ही पन्ना.जि अनुश्रवण एवं अवश्यकता नुसार सत्पापन आदि पर व्यय की
जड़ लागेगी। इस संबंध में प्रक्रिया पूर्यक्षेत्रिय रित कर जारी की जाएगी।

6.9 यहां निधि द्वारा वित्त पोषित परियोजना में उनकी स्वीकृति के पश्चात
कार्यदायी संस्था का परिवर्तन अपरिहार्य हो ते इत संबंध में पूरी और्ध्वत्य सहित प्रस्ताव
सुख्य विकास अधिकारी द्वारा जिला.धिकारी के प्रस्तुत कियों जायेगा। जिलांश एवं
राज्यांश ते स्वीकृत परियोजना से संबंधित कार्यदायी संस्था के परिवर्तन हेतु छमशः
मण्डलायुक्त एवं नियोजन विभाग अधिकृत होंगे।

6.10 कार्यदायी संस्था द्वारा तड़क/पुल/पुलियां तथा भवन नियमण संबंधित योजनाओं
के अंगणन की संरचना एवं उनका क्रियान्वयन लोक नियमण विभाग के निधि रित मंडलों
के अनुसार कियों जायेगा। जिलांश हेतु ऐसे समस्त अंगणन का प्ररीक्षण लो.नि.वि.0
से अनिवार्यत कराया जायेगा।

6.11 कार्यदायी संस्था/विभाग उनके द्वारा सम्पादित कार्यों की गुणवत्त्वात् सुनिश्चित
करने के लिए पूरी रूप से उत्तरदायी होंगे। अंगणन संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के समस्त
अभियंता अ.ग./अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण करने के उपरांत ही तैयार किया
जायेगा। नियमण कार्य की जाँच करते समय यह पायह जायेगा कि किसी कार्य
व्यय की वास्तविक आवश्यकता स्थूल पर नहीं थी अथवा अंगणता व्यय निधि रित
महंकरों से अधिक है अथवा कार्य संतोषजनक दृग से निष्पत्ता दित नहीं लिया गया है तो
उत्तरी पुष्टि होने पर यथा स्थिति अंगणन तैयार करने स्थूल परीक्षण करने वाले संबंधित
तकनीकी अधिकारियों अथवा परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित अधिकारियों/
छर्मचारियों ने विस्तृद दण्डनीष्य कार्यदायी की जायेगी तथा संबंधित कार्यदायी संस्थाएं
ली जिला/मण्डल की छफाई को बैक लिस्ट कर दिया जायेगा।

6.12 नियमण कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था/विभाग द्वारा जिला.धिकारी
को कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके प्राप्त होने पर जिला.धिकारी यह
तुनिश्चित करें कि कार्यदायी संस्था द्वारा नियमित परिसम्पत्ति संबंधित प्रशासनिल
विभाग को रखरखाव हेतु दृतांतरित कर दी जायेगा।

7. प्रतियोजनाओं की स्वीकृति:

7.1 जिलांश के अंतर्गत प्रस्ताव मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संदर्भ विधान
सभा/विधान परिषद ते 3 मई तक अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे जिसके लिए मुख्य
विकास अधिकारी उनसे लिखित रूप से अनुरोध करेंगे।

7.2 जिलांश ते वित्त पोषित की जाने वाली परियोजनाओं को संबंधित मुख्य
विकास अधिकारी अपने जनपद के तटस्थ, विधान सभा/विधान परिषदके सभापैठक करके
अंतिम रूप देंगे। पोजनाओं का विवरण देते समय विधान सभा क्षेत्र तथा प्रस्तावक का
भी संकेत दिया जायेगा। मुख्य विकास अधिकारी हन पोजनाओं को जिला.धिकारी

को सम्पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत करेगे। तदुपरान्त जिलाधिकारी इन योजनाओं के कार्यदारी संत्यागों के लंबांग में संस्थानी तहित तम्मूरी विवरण मण्डल सुकृत को प्रेसित करेगे जो परीक्षणों परांत वित्तीय एवं प्रशासनीय स्वीकृति प्रदान करेगी।

7.3 जहाँ तक तम्भव हो जाए, सभी परियोजनाओं की स्वीकृति तम्बन्धित सदस्यों ते उनका प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर ही प्रदान की जानी अपेक्षित होगी।

7.4 राज्यांग के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति मरा० मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रदान ही जायेगी तथा उन्होंने तम्बन्ध में प्रशासनीय एवं वित्तीय स्वीकृति नियोजन विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति ते निर्ति की जायेगी। परियोजनाओं के आगणन सम्बन्धित विभाग/मण्डल सुकृत तैयार कराकर अपनी संस्थानी तहित शास्त्रज्ञ के नियोजन विभाग को उपलिख्य करायेंगे, जिनको नियमानुसार परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा अधीन प्रायोजन रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा किया जायेगा। योजनाओं की स्वीकृति जारी होने के पश्चात जनपद स्तर पर स्वीकृति योजनाओं के आगणन में कोई परिवर्तन बिना शास्त्रज्ञ की पूर्व स्वीकृति ते नहीं किया जायेगा।

7.5 योजनाओं की स्वीकृति का अदेश जारी होने के उपरान्त योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने ते पूर्व कार्यदारी संस्था द्वारा जिलाधिकारी द्वारा कार्यादिश प्रदान किया जायेगा। ऐसे कार्यादिश की एक प्रति मण्डल सुकृत तथा शास्त्रज्ञ के नियोजन विभाग द्वारा भेजी जायेगी।

8. विधान परिषद्/विधान सभा के सदस्यों की सुधारणा

8.1 जिन विधान परिषद् सदस्यों के निवाचन द्वेष में एक ते अधिक जनपद आते हैं उनको यह विकल्प प्राप्त होगा कि वे जिती एक जनपद में अधिक घटि घटि तो अपने निवाचन द्वेष के एक निधि ते आचादित प्रत्येक छुछ जनपदों में निपि ते योजनाओं हेतु प्रस्ताव दे भेजेंगे।

8.2 विधान तभा सदस्यों को निपि में प्राप्त होने काली तांगत लड़ी परियोजनाओं के लगभग समान धनरांग विधान परिषद् सदस्यों द्वारा संस्थान परियोजनाओं हेतु मात्राकृत की जायेगी।

- 8.3 विधान परिषद के ऐसे सदस्य जो विधान सभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, वही वे प्रतिनियत नियम हैं या श्री राज्यपाल द्वारा चुना जाता है, जिसी गये हैं, यदि वे प्रतिनियत नियम हैं, तो उन विधान परिषद् आचारित जनपदों में से जिसी एक जनपद के नियम हैं, तो उन विधान परिषद् तदस्यों जो उनके बृह जनपद का विधान विधायिका भी संस्थानी हैं वे उन विधान परिषद् तदस्यों जो उनके बृह जनपद का विधान विधायिका भी संस्थानी हैं वे उन्हें जिसी एक नियम तो आचारित जिसी एक जनपद को उनकी मांग पर आवंटित कर दिया जायेगा। आवंटित जनपद में विधान सभा तदस्यों ली सहभागिता के तभान इन विधान परिषद् तदस्यों जो भी सहभागिता रहेगी।
- 8.4 स्थानीय क्षेत्रों के चुनाव आये विधान परिषद् तदस्य जो जिसी एक जनपद का प्रतिनियित बरता है, उन्हें उक्त जनपद ही अवृत्तित बिधा जाय। उक्ती सहभागिता उन जनपद में विधान सभा तदस्यों के तभान ही होगी। ऐसे विधान परिषद् तदस्य विकार एक तो आधिक जनपदों में निवाचिन क्षेत्र स्थित है, उनमें उनकी अवृत्तित जनपद वही होगा जहाँ ते वे चुने गये हैं। नियम में उनकी सहभागिता भी विधा न सभा तदस्यों के नगभग तमाम होमुरी पर नहु उन्हें यह विलल्प होगा कि वे चाहे तो दून्हरे जनपदों ही पोजन जाऊं पर संस्थानी कर लें। प्रथम चयनित जनपद में विधान परिषद् तदस्य को मावाकृत धनराजि ते ही दून्हरे जनपद की यांजनाओं हेतु धनराजि स्वीकृत करने की तूचना मुख्य विद्वत् अधिकारी द्वारा ही भेज दी जायेगी। प्रथम जनपद और दून्हरे जनपद को मिलाकर उतनी धनराजि व्यष्टिकी ज़रूरतें जितनी प्रथम चयनित जनपद में विधान परिषद् तदस्य को मावाकृत ही गयी हो।
- 8.5 यदि जिसी विधान परिषद् तदस्य वह निवाचिन क्षेत्र अवृत्तिक रूप ते जिसी नियम तो आचारित है तो उन्होंने नियम तो आचारित निवाचिन क्षेत्र उं अंज छी जनक्षेया एवं अपने निवाचिन क्षेत्र की कुल जनक्षेया के अनुपात में धनराजि उपलब्ध करायी जायेगी। ऐसे विधान परिषद् तदस्यों को अन्य विधान सभा तदस्यों के कमठुल धनराजि उपलब्ध नहीं होती जायेगी।
- 8.6 यदि पूर्ववती विधान सभा/परिषद् तदस्य द्वारा अभिजापित लोई छार्ट निर्णयाधीन है तो उत्ते पूरा किया जायेगा।
- 8.7 जो मा० विधान परिषद् तदस्य एक से अधिक जनपद मण्डल आवंटि का प्रतिनियित करते हैं वे अपने निवाचिन क्षेत्र के किसी एक जनपद का चयन लेंगे जो नोडल जनपद छहनायेंगा। उक्ते नोडल जनपद चयन लिये जाने से पूर्व मर० विधान परिषद् भट्टायतं भित मण्डलायुक्त को अवगत घरायेंगे एवं उन्होंने अपने निवाचिन क्षेत्र में जिसी अन्य जनपद का चयन नोडल जनपद के रूप में नहीं किया है। मण्डलायुक्त इस प्रकार चयन नोडल जनपदों की तूचना शास्त्र में प्रेषित होते हैं। एक से अधिक मण्डलों में निवाचिन अवस्थित होने में नींदा दशा में संबंधित मण्डलायुक्त नोडल जनपद नियम रित ले ते पूर्व शास्त्र छार अनुमोदन प्राप्त करेंगे।
- 8.8 नोडल जनपद के चयन की तूचना नोडल जनपद के संबंधित मण्डलायुक्त मुख्य विधान अधिकारी द्वारा संबंधित मा० विधान परिषद् तदस्य के निवाचिन क्षेत्र में अवस्थित सभी जनपदों के जिलापिलारियों तथा मुख्य विधान अधिकारीयों तथा मण्डल अधिकारीयों द्वारा चयन के उपरांत तत्काल प्रेषित ही जायेगी।

मा० विधान परिषद् तदस्य अपने किंचन देव के तपात जनपदों के प्रस्ताव
नोडल जनपद के मुख्य विकास अधिकारी को ३१ मई, तक उपलब्ध करायेगी और तदकार
प्रस्ताव प्रत्यक्ष न हुए संबंधित मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आवश्यक पर्याप्ति
हुनिश्चित री जायेगी। नोडल जनपद लो शात्तन द्वारा जिलांगे ते आवंटित हुल
धनराजि विधान तभा एवं विधान परिषद् के तभी मा० तदस्यों में समान रूप है
मात्राहृत की जायेगी। और इती मात्राकरण की तीम तक प्रस्ताव मा० विधान
परिषद्तदस्य द्वारा नोडल जनपद के मुख्य विधान अधिकारी जो दिये जा तेंगे वाहे
वे उनके नियमित इंतजार के लिती भी जनपद के हों। यदि किती विधान परिषद् तदस्य
का नियमित इंतजार अंशिक रूप के लिती नियमित प्रोक्षित है तो उनके नियमित इंतजार
की जनत्तेधां के अनुपात ऐ धनराजि का मात्राकरण किया जायेगा।

8-10. नोडल जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अन्य जनपदों लो प्रस्तावित
योजनाओं हो तूचना तंबंधित जनपदों के जिलांविकासियों, मुख्य विकास अधिकारियों
एवं मण्डलायुक्त को उन योजनाओं की स्वीकृत हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत
१५ जून तक प्रोक्षित कर दी जायेगी। ऐसी योजनाओं में निवित धनराजि तंबंधित अन्य
जनपद/जनपदों को अवंटित जिलांगे की धनराजि हो ही १५ जुलाई तक स्वीकृत कर
दी जायेगी। इतें संबंधित अन्य जनपद को प्राप्त ऐसे तभी प्रस्तावों की धनराजि को
जनपद के जिलांगे में अवंटित हुल धनराजि हो घटने पर अवशेष धनराजि उसी जनपद
के लिती अन्य मा० विधान तभा सदस्यों एवं विधान परिषद् तदस्यों में समानरूप ते
वितरित की जायेगी।

8-11. विभिन्न योजनाओं एवं उनमें निवित धनराजि स्वीकृत होने की तूचना
तंबंधित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा मा० विधान तभा सदस्य के
अतिरिक्त नोडल जनपद के मुख्य विकास अधिकारी विधान परिषद् सदस्यद्वारा/
योजनावार/जनपदवार स्वीकृत योजनाओं की संलित तूचना अपने कायदालय में रखेगी।

8-12. यदि किती मा० विधान तभा सदस्य/विधान परिषद् सदस्य द्वारा त्याग
पत्र दे दिया जाता है तो मा० विधान तभा सदस्य/विधान परिषद् सदस्य के विधान
मण्डल/परिषद् ते त्याग पत्र देने की तिथि ते पूर्व, मा० विधायकों के जाथ बैठक कर
चयनित परियोजनाओं के प्रस्ताव जो मण्डलायुक्तों लो प्रोक्षित किये जा हुए हों ऐसे
प्रस्तावों ले स्वीकृत कर कायदान्वित किया जाय। यदि जनपद स्तर पर प्रस्ताव
अंतिम हो गये हों एवं मण्डलायुक्तों ले किती कायदालय मा० सदस्य के त्यागपत्र
देने की तिथि के पश्चात अनुमोदनार्थ प्रोक्षित, लेंदे गये होते भी उन प्रस्तावों लो
कायदान्वित किया जाय। यदि किती जनपद में कैफ न हो पायी हो का प्रस्ताव
अंतिम न किय गये हों तो उन जनपदों में त्यागपत्र देने की तिथि ते त्यागपत्र देने
दाले मा० विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों ले बैठक में भाग लेने का या प्रस्ताव
प्रोक्षित करने ले कोई अधिकार न होगा। इसके उपरांत यदि लोड्ड परिवर्तन अवशेष
रह जाती है तो उते ऐसे तभी मा० विधान तभा सदस्यों, जिन्होंने त्यागपत्र न दिया
हो, के मध्य समानरूप ते वितरित कर दिया जाय। यदि किती जनपद में समत्त

विधान सभा तदस्यैं द्वारा त्पागपत्र दें दिया गया हॉटेल सेटी परिस्थाप्ति में
मा० विधान सभा तदस्यैं को मात्राचृत पक्का जिलाधिकारी हासिल के
निधियों के नियम तुलार गृह्य प्रस्ताव अंतिम जर मण्डलायुक्त है अनुमोदन प्राप्त
करेगा प्रस्तावों के अंतिम फरते तम्य जिलाधिकारी अपूर्ण कायों एवं छिटिकल गैप
को पूरा करने वाले कायों को प्रार्थ्यमिलता देगी।

९.१३ योजनाओं का कायान्वयन तथा प्रगति अनुच्छेद:

निधि द्वारा वित्त प्रोबित जिलांगा तथा राज्यांश तंबंधित तमस्ता
योजनाओं का प्रभावी कायान्वयन एवं प्रगति के अनुच्छेद का दायित्व जनपाठ स्तर
पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त को होगा।
मण्डलायुक्त अपने स्तर पर आयोजित की जाने वाली जमीक्षा बैठक में निधियों हें
तंबंधित एजेन्डा आइटम अवश्य तम्भित द्वारा जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त द्वारा
जिलांगा एवं राज्यांश तंबंधित समस्त पोजनाओं द्वारा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति
रिपोर्ट नियांरित प्रपत्रों पर प्रत्येक माह की 10 तरीख तक निर्देशक, क्षेत्रीय नियोजन
प्रभाग, योजना अवन, लखनऊ को प्रेषित की जाएगी। निधि के अंतर्गत परियोजनाओं
को भौतिक एवं वित्तीय प्रगति जमीक्षा जिलाधिकारी, द्वारा प्रत्येक माह मण्डलायुक्त
द्वारा प्रत्यक्ष वैमाली में तथा झाज्जन स्तर पर प्रत्येक छः माह में की जायेगी।

९.० शिधिलीकरण:

इस मार्ग निर्देशिका में नियंत्रित प्राविधिकों में किसी प्रकार का शिधिलीकरण
विशेष परिस्थितियों में मा० नियोजन संकी जी के मध्यम से मा० ऊँच्य संकी जी के
अनुमोदनोपरांत ही किया जा सकता।

परिधिङ्ग

निपि के अंतर्गत न छार्ये जा सकने वाले कार्यों की सूची:

1. ऐन्ड्रीय अथवा राज्य तरफारों, के विभ गों, आधिकारण, तार्दजनिक उपचारों के माँ वा तंगठनों से संबंधित कार्यालय भवन, आवश्यक गृहों अथवा अदानों का निर्माण।
2. वाणिज्यिक तंगठनों, न्यासों, पंजोकृत तात्त्विक इवं, निवी तंत्याओं अथवा तड़पारी तंत्याओं से संबंधित कार्य।
3. इती भी प्रश्न की मामला एवं अनुरक्षण संबंधी कार्य।
4. अनुदान एवं ऋण।
5. स्मारक, या स्मारक भवन।
6. इती शुकार ली वस्तु तथा की छरीद अथवा खण्डार।
7. भूमि के अधिग्रहण अथवा अभिग्रहीत भूमि के लिये कोई भी सुआदज हस्ति।
8. व्यक्तिगत लक्ष्य के लिए परित्यक्ति।
9. धार्मिक पूजा के स्थान वा कुब व निर्माण।
10. कच्चे मार्गों, पैदल पथ, पार्किंगियों और पैदल लच्चे पुलों का निर्माण।
11. नहरों, नालों तथा नालाबों की सफाई।
12. अस्पताल, स्कूल आदि के लिये आवंतक व्यय।
13. अत्यन्त लघु कार्य, तौन्दर्पिकरण एवं जीर्णोद्धार।